

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

महाधिवक्ता, बिहार,
उच्च न्यायालय, पटना

पटना, दिनांक.....

विषय:- श्री ऋषि राज सिन्हा, स्थायी समुपदेशक संख्या-19 के सहायतार्थ सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री ऋषि राज सिन्हा, स्थायी समुपदेशक संख्या-19 के पत्र संख्या-541, दिनांक-27.04.2017 से प्राप्त अनुशंसा के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने श्री ऋषि राज सिन्हा, स्थायी समुपदेशक संख्या-19 के सहायतार्थ पूर्व से नियुक्त सहायक अधिवक्ता श्री अवनिन्द्र कुमार झा (577/2003) द्वारा दिये गये त्याग पत्र को दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुये उनके स्थान पर अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार, निबंधन संख्या-3047/96, को विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-4421/जे०, दिनांक-20.07.2016 की कंडिका-9 में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप सम्यक विचारोपरांत दिनांक-25.04.2017 (अनुशंसा-पत्र की तिथि) के प्रभाव से सहायक अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की कृपा की है।

2. सहायक अधिवक्ता के रूप में इनकी सेवा इनके वरीय अधिवक्ता के सह-विस्तारी (Co-terminus) अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक सीमित रहेगी।

3. सहायक अधिवक्ता को वही शुल्कादि देय होगा जो विधि विभागीय पत्रांक-484/जे०, दिनांक-01.10.2012 द्वारा पूर्व से निर्धारित है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

संख्या-.....2714...../जे०,

पटना, दिनांक...18-5-17

प्रतिलिपि:- श्री ऋषि राज सिन्हा, स्थायी समुपदेशक संख्या-19 महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना एवं विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।